

कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ

फारम-VIII - क

नगर की परगिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 123 तिथि- 2-11-12 के संदर्भ में श्रीमति/श्री डेबनोकब्दार
के लिए 17-18 विन्डीज सेंटर 910 नि०

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
(ख) भवन के पुनर्निर्माण
(ग) भवन के परिवर्तन
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

पूर्णियाँ नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित
विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं०
(सी०एस०) प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) 591, 592 खाता नं० 418 होल्डिंग नं० 454
454 गाँव 3(68000) मोहल्ला 2004 वार्ड नं० 45 के बाबत निम्नलिखित
शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार
के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया



(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 210.8 मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके
किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.09 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से
सुलभ होगी।

(ङ) प्रस्तावित भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना
प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी
योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ

पूर्णियाँ नगर निगमों/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 2.5 मीटर
चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस संबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस मूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो,
के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई
विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द संज्ञा दी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

17
मान्य अधिकारी
नगर निगम, पूर्णियाँ
नगर विकास प्रदाता अधिकारी/आयोजना अधिकारी